तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 46/2022	जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
30–6–2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अपीलार्थी छगन कुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जी पत्नी मोहनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 9, 15 व 16 क्रमशः इन्दरसिंह पुत्र हमीरसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– निवासी– पालडी एम., तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही, विध्याकुंवर पुत्री तेजसिंह जी पत्नी राजेन्द्रसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– कलाली, तहसील– रोहट, जिला– पाली व सणगीदेवी पत्नी हेमाराम जी, जाति– कुम्हार, निवासी– पालडी एम. तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 8, 10 से 14 अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर दिनांक 24–6–2025 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि. प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), 'प्रशासन गांव के संग अभियान 2021' द्वारा स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव दिनांक 10–11–2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। यह कि अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प पालड़ी (एम) में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बंडवाड प्रस्ताव को धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार कर डिक्री किये गये है। उक्त बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत व डिकी के पूर्व प्रार्थीया को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न ही पत्रावली कैम्प में प्रस्तुत होने बाबत् कोई सूचना ही दी गई है। प्रार्थीया की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय व डिकी पारित किये जाने से प्रार्थीया को निर्णय व डिक्री दिनांक 10–11–2021 की जानकारी पूर्व में नहीं रही है। प्रार्थीया को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी यह अपील प्रस्तुत करने के गत सप्ताह खसरा संख्या 28 में स्थित कुंए के पास में प्रार्थीया के भाई की मूर्ति की पुजा करने जाने और उक्त पुजा से अप्रार्थी संख्या 15 व 16 द्वारा रोके जाने पर हुई, जिस पर प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब 30 दिवस में यह अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थीया साक्षर महिला हैं और प्रार्थीया की अनुपस्थिति में बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत व डिक्री होने से प्रार्थीया को इसकी जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी है, इस कारण से प्रार्थीया अन्दर मियाद अपील पेश नहीं कर सकी है इसमें प्रार्थीया की कोई लापरवाही या बदनियती नही रही है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का उचित व पर्याप्त कारण रहा है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 9, 14 व 15 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सभी ने लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीखुशी सहमत होकर आपसी बंटवाड़नामा तैयार किया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2021 में अपने–अपने हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी से निष्पादित कर आपसी सहमति बंटवाडनामा दस्तावेज प्रशासन गांव के संग अभियान में तहसीलदार, शिवगंज को पेश .....लगातार	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 46/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

किया गया एवं सभी पक्षकारान ने तहसीलदार, शिवगंज के समक्ष उपस्थित होकर उक्त बंटवाड़ नामे को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दी। उसके बाद तहसीलदार, शिवगंज ने उक्त बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकार करके डिक्री पारित की जाकर बंटवाड़ अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेश पारित किया गया है एवं पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में बंटवाड प्रस्ताव अनुसार पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है, जिसकी जानकारी स्वयं प्रार्थीया को है एवं प्रार्थीया स्वयं उपस्थित रही है जिसने स्वयं ने बंटवाड़ प्रस्ताव सहमति से होना स्वीकार किया है, जिससे बंटवाड प्रस्ताव की भलीभांति पूर्ण रूप से प्रार्थीया को जानकारी है। केवल मात्र गलत कथन कर प्रार्थीया अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर यह अपील व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया स्वयं पढी लिखी महिला है और जिसे उक्त आपसी सहमति से हुए कृषि भूमि के बंटवाड के संबंध में पूर्ण जानकारी है एवं सभी खतेदारो द्वारा राजीखुशी हक हिस्से के अनुरूप कृषि भूमि का बंटवाड प्रस्ताव एवं बंटवाड दस्तावेज तैयार करवाकर पेश किया एवं सहमति से विभाजन स्वीकार करने से तहसीलदार द्वारा विभाजन डिक्री पारित की गई। इस कारण प्रार्थीया का यह कथन कि उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया, जो मानने योग्य नहीं है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नही किया है कि किस दिनांक, किस माह एवं किस वर्ष को अपने भाई की मुर्ति पुजा करने हेतु खेत पर गई। इससे स्पष्टतया जाहिर है कि प्रार्थीया ने केवल मात्र झूठे कथन करके अपील व प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि प्रार्थीया को शुरू से ही बंटवाडे की जानकारी है। प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर अपील देरी से पेश की है एवं इस देरी के लिये प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का कोई कारण व स्पष्टीकरण नही दर्शाया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव क्रमांकःराजस्व/प्र.गां.सं./2021/15 दिनांक 10–11–2021 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपील, इस न्यायालय में दिनांक 19–7–2022 को प्रस्तुत की गई है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए इस विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत कर डिक्री किये गये एवं उक्त बंटवाड प्रस्ताव की पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में प्रस्तुत होने की प्रार्थीया को कोई सूचना नही दी गई एवं न ही प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जाना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति प्रतीत नही होती है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो एवं मूल अपील पत्रावली के साथ नत्थी हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)